BFFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 590 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Nitin Anand **...Applicant**

Versus

Ministry of Railway & Ors. **...Respondent(s)**

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response Affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance with the order dated 24.11.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi	1-4
2.	**ANNEXURE-1** A true copy of the letters dated 16.09.2025, 22.09.2025 and 26.09.2025 between the Regional Office of UPPCB, Bareilly and the railway authorities	5-7
3.	**ANNEXURE-2** A true copy of the inspection report dated 08.10.2025	8-11
4.	**ANNEXURE-3** A true copy of the letter dated 18.10.2025	12
5.	**ANNEXURE-4** A true copy of the inspection report	13-16
6.	**ANNEXURE-5** A true copy of the letter dated 20.01.2026	17-18

THROUGH

DATE: 11.02.2026
PLACE: NEW DELHI

STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH-201303
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 590 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Nitin Anand ......Applicant

Versus

Ministry of Railway & Ors. ......Respondent(S)

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 24.11.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I Chandresh Kumar aged about 39 years, S/o Shri Harish Chandra, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as "UPPCB), Bareilly, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is working on the above-mentioned post and is the authorized officer in the captioned matter and well conversant with the facts and circumstances of the case and as such is well conversant to swear this affidavit.
2. That the present case relates to allegations regarding illegal dumping of solid waste and encroachment in a stretch of 2.6 Km. of unused meter gauge railway track adjacent to the new-leased Shyamganj railway station.

3. That in compliance with the earlier order of this Hon'ble Tribunal in OA No. 377 of 2025, the Regional office of UPPCB, Bareilly had written to the railway authorities proposing a joint inspection of the site in question, to which the railway authorities had responded by nominating an officer. A joint inspection dated 08.10.2025 had been conducted on the site in question by the officials of the answering Respondent along with representatives of the railway authorities. During the said inspection it was noted that there was rampant illegal dumping of solid waste, encroachment and waterlogging.

   A true copy of the letters dated 16.09.2025, 22.09.2025 and 26.09.2025 between the Regional Office of UPPCB, Bareilly and the railway authorities is annexed hereto and marked as **Annexure No. 1 (colly).**

   A true copy of the inspection report dated 08.10.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure No. 2.**

NOTARY MUNISHWAR DAYAL ADVOCATE & NOTARY KATCHERY BAREILLY (U.P.) REG. No 8595 VALID UP TO JUNE 2026 GOVERNMENT OF INDIA

4. That a letter dated 18.10.2025 was written by the Regional Office of UPPCB, Bareilly to the Senior Mandal Engineer, Bareilly, North Eastern Railway, Izzatnagar asking them to initiate appropriate action against the illegal dumping of solid waste, encroachment and waterlogging on the site in question. However, no action was taken by the railway authorities.

   A true copy of the letter dated 18.10.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure No. 3.**

5. That in compliance with the order dated 24.11.2025 of this Hon'ble Tribunal in the present matter, an inspection of the disputed site was carried out on 15.12.2025 by the Regional Office of UPPCB, Bareilly, in the presence of the Applicant, Mr Nitin

Anand. A true copy of the inspection report is annexed hereto and marked as **Annexure No. 4.**

6. That the site in question is located between Shahdana (Shyamganj) and Izznagar Railway Station, Bareilly, on a meter-gauge railway track (approximately 2.6 km long) operated by the North Eastern Railway. Due to the track being in disuse for approximately 30 years, it was reported that encroachment on vacant land owned by the Railway Department on both sides of the railway line was a problem. Currently, Shahdana (Shyamganj) Station does not exist.

7. That pursuant to the inspection, the following directions were issued under Section 5 of the Environment Protection Act to the Divisional Railway Manager, Bareilly, North Eastern Railway, Izzatnagar vide letter dated 20.01.2026:

   a. That action should be taken as per rules to remove illegal encroachment on the area between Shahdana (Shyamganj) to Izzatnagar Railway Station Bareilly on the meter gauge railway track applied under North Eastern Railway.

   b. That the disposal of dumped solid waste and cow dung on the area between Shahdana (Shyamganj) to Izzatnagar Railway Station Bareilly on the meter gauge railway track applied under North Eastern Railway should be ensured as per the provisions of Solid Waste Management Rules-2016.

   c. That the water logging in the area between Shahdana (Shyamganj) to Izzatnagar Railway Station Bareilly on the meter gauge railway track under North Eastern Railway be scientifically removed and the vacant land be cleaned.

A true copy of the letter dated 20.01.2026 is annexed hereto and marked as **Annexure No. 5.**

8. That the present affidavit is placed before this Hon'ble Tribunal for its perusal and necessary action.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at **Bareilly**....on this ....**10**..... day of 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY
MUNISHWAR DAYAL
ADVOCATE & NOTARY
KATCHERY BAREILLY (U.P.)
REG. No.8505
VALID UP TO
JUNE 2026
GOVERNMENT OF INDIA

DEPONENT

Certified By Shri/Smt. ....
Identified By Shri Sowrned........................
And Confirmed The Contents of Affidavit in My
Presence At Bareilly Dated............10/2/26
And Further Understood The Contents.

MUNISHWAR DAYAL
Advocate & Notary
Kachery Bareilly (U.P.

Phone & Fax: 0581-2535299

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालयः 1219/1, ई-ब्लाक राजेन्द्र नगर, बरेली-243 122
U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office: 1219/1, E-Block, Rajendra Nagar, Bareilly-243 122

सन्दर्भ संख्याः-524 /एन0जी0टी0-377/2025/2025 दिनांक 26/09/25

सेवा में,

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर (समन्वय)
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर, रेलवे मण्डल,
बरेली।

विषयः-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 377/2025 नितिन आनन्द बनाम चेयरमैन रेलवे बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.07.2025 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र सं0 इ/579/कोर्ट-केस/476 दिनांक 22.09.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 377/2025 नितिन आनन्द बनाम चेयरमैन रेलवे बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.07.2025 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु संदर्भित स्थल रेलवे ट्रैक, शाहदाना, श्याहमतगंज, बरेली का संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु इस कार्यालय में कार्यरत श्री सुनील कुमार, वैज्ञानिक सहायक (मो0 नं0 9411919848) द्वारा श्री अरूण कुमार चावला (मो0 9760541205), सहायक नगर इंजीनियर/इज्जतनगर/पूर्वोत्तर रेलवे से समन्वय स्थापित किया गया। संयुक्त निरीक्षण की तिथि 29.09.2025 व समय पूर्वाह्न 11:00 बजे नियत किया गया है।

उपरोक्त आपके सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

[signature]

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. जिलाधिकारी महोदय, बरेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

[signature]

क्षेत्रीय अधिकारी

LATTER S.S 1035

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
मंडल रेल प्रबन्धक / इंजी0
इज्जतनगर,
दिनांक 22.09.2025

पत्र सं0 इ / 579 / कोर्ट–केस / 476

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
1219 / 1, ई–ब्लाक राजेन्द्र नगर,
बरेली, उ0प्र0, पिन–243122

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 377 / 2025 नितिन आनन्द बनाम चेयरमैन रेलवे बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.07.2025 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्र संख्या 482 / एन0जी0टी0–377 / 2025 / 2025 दिनांक 09.09.2025

****

महोदय,

आपके संदर्भित पत्र के अनुपालन में विषयांकित कार्य हेतु इस कार्यालय द्वारा सहायक नगर इंजीनियर / इज्जतनगर / पूर्वोत्तर रेलवे श्री अरूण कुमार चावला को अधिकृत किया जाता है।

कृपया विषयांकित कार्य हेतु तिथि निर्धारित कर सहायक नगर इंजीनियर / इज्जतनगर / पूर्वोत्तर रेलवे श्री अरूण कुमार चावला (मो0– 9760541205) से समन्वय स्थापित कर, कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

वरिष्ठ मंडल इंजीनियर / सम0
पूर्वोत्तर रेलवे / इज्जतनगर।

प्रतिलिपि– सहायक नगर इंजीनियर / इज्जतनगर / पूर्वोत्तर रेलवे श्री अरूण कुमार चावला जी को निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, 1219 / 1, ई–ब्लाक राजेन्द्र नगर, बरेली, उ0प्र0, पिन–243122 को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

वरिष्ठ मंडल इंजीनियर / सम0
पूर्वोत्तर रेलवे / इज्जतनगर।

167
17.09.25
इज्जतनगर

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
मण्डल रेल प्रबन्धक (इन्जी.)
इज्जतनगर
दिनांक 16 .09.2025

पत्र सं. इ/44/2/जनरल/इ–4/2453

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
1219/1, ई–ब्लाक राजेन्द्र नगर, बरेली–243122

विषय:–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 377/2025 नितिन आनन्द बनाम चेयरमैन रेलवे बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.07.2025 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:–आपका पत्र सं0 482/एन0जी0टी0–377/2025/2025 दिनांक 09.09.2025

****

उपरोक्त विषयांकित के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि रेलवे ट्रैक, शाहदाना, श्याहमतगंज, बरेली का संयुक्त निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः संदर्भित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु इंजीनियरिंग विभाग से श्री अरुण कुमार चावला, सहायक नगर इंजीनियर/इज्जतनगर को नामित किया जाता है।

16/09

वरिष्ठ मंडल इंजी0/समन्वय
इज्जतनगर

16.9.25

प्रतिलिपि:–सहायक नगर इंजीनियर/इज्जतनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16/09

वरिष्ठ मंडल इंजी0/समन्वय
इज्जतनगर

16.9.25

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में पारित ओ0ए0 सं0 377/2025 "नितिन आनन्द बनाम चेयरमैन, रेलवे बोर्ड एण्ड अदर्स" मे पारित आदेश दिनांक 30.07.2025 के अनुपालन में स्थल की निरीक्षण आख्या–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 377/2025 "नितिन आनन्द बनाम चेयरमैन, रेलवे बोर्ड एण्ड अदर्स" में पारित आदेश दिनांक–30.07.2025 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेलवे के इंजीनियर श्री अरूण कुमार चावला तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अनुप्रयुक्त मीटरगेज रेलवे ट्रैक (लम्बाई लगभग 2.6 कि0मी0) शहदाना (श्यामगंज) से इज्जनगर रेलवे स्टेशन, बरेली का निरीक्षण दिनांक–08.10.2025 को किया गया। निरीक्षण आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है–

1. पूर्वोत्तर रेलवे का मीटर गेज रेलवे ट्रैक (लम्बाई लगभग 2.6 कि0मी0) इज्जतनगर रेलवे स्टेशन से शहदाना (श्यामगंज) पूर्व रेलवे यार्ड तक है, जो कि वर्तमान में अनुप्रयुक्त है।
2. निरीक्षण के समय प्रभात नगर (पूर्व रेलवे क्रासिंग) रेलवे ट्रैक के आस–पास डेयरियों से जनित जल भराव, गोबर (डंग) तथा डेयरियां झाड़–झाड़िया इत्यादि पायी गयी। रेलवे ट्रैक के आस–पास प्रभात नगर, कृष्णावटी तथा चन्दपुरी आवासीय कालोनी स्थित है, जिसके बीच से उक्त रेलवे ट्रैक गुजरता है रेलवे ट्रैक के दोनो ओर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एकत्रित पाया गया।
3. निरीक्षण के समय प्रेमनगर (मॉडल टाउन रेलवे क्रासिंग के पास) दोनो तरफ डेयरियां एवं जगह–जगह गोबर (डंग) पाया गया।
4. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त रेलवे ट्रैक के आस–पास स्थित आवासीय भवनों द्वारा भी रेलवे ट्रैक की भूमि पर जगह–जगह अतिक्रमण किया गया है।

उपरोक्तानुसार पूर्वोत्तर रेलवे के अनुप्रयुक्त मीटरगेज रेलवे ट्रैक (लम्बाई लगभग 2.6 कि0मी0) शहदाना (श्यामगंज) से इज्जनगर रेलवे स्टेशन, बरेली के दोनो ओर जगह–जगह म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एकत्रित होने, डेयरियों से जनित दूषित जल एवं गोबर इत्यादि एकत्रित होने तथा आवासीय भवनों द्वारा अतिक्रमण, कूड़ा–कचरा एवं घरेलू उत्प्रवाह इत्यादि निस्तारित किये जाने तथा उक्त रेलवे ट्रैक के दोनो ओर आवासीय कालोनियां स्थित होने के दृष्टिगत आस–पास के परिवेशीय वातावरण तथा जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। उक्त निस्तारण हेतु कार्यवाही पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर, रेलवे मण्डल द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(श्याम बाबू द्विवेदी)
अनुश्रवण सहायक

(सुनील कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी

निरीक्षण के समय गांधी नगर (पूर्व रेलवे कासिंग) रेलवे ट्रेक के लिये गये फोटोग्राफ्स–

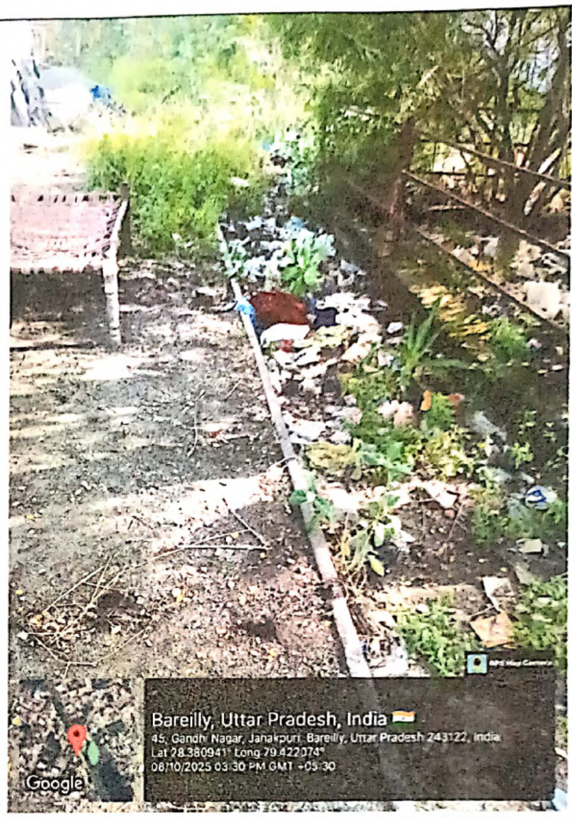

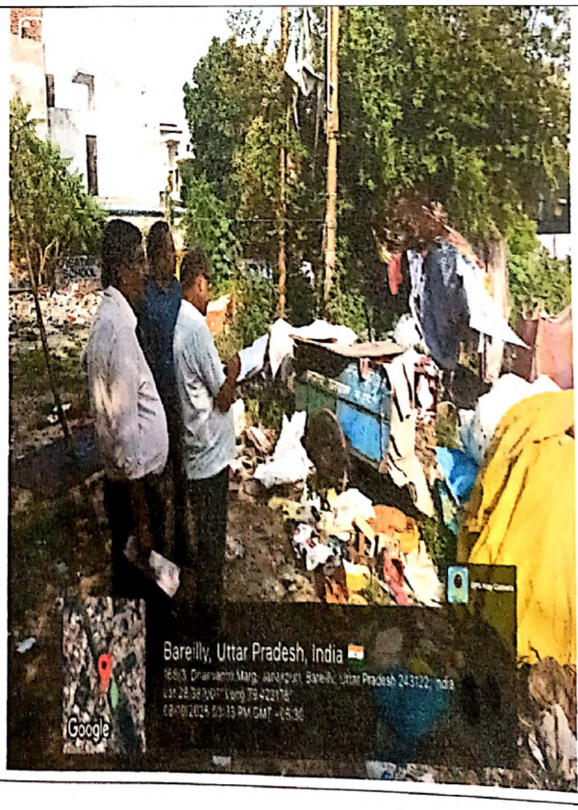

निरीक्षण के समय प्रभात नगर (पूर्व रेलवे कासिंग) रेलवे ट्रेक के लिये गये फोटोग्राफ्स—

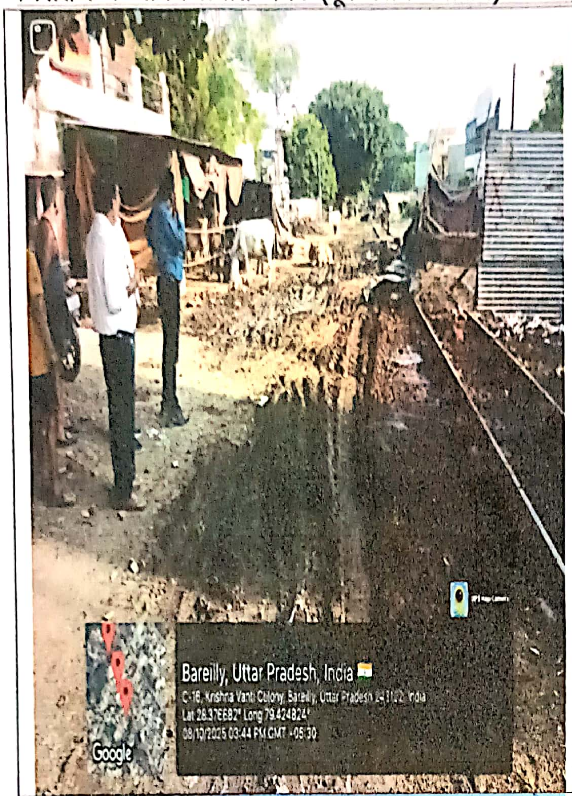

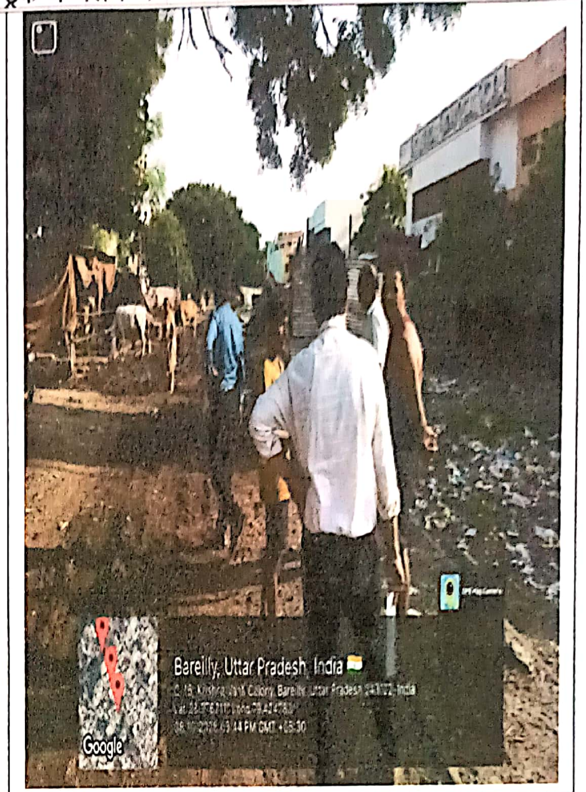

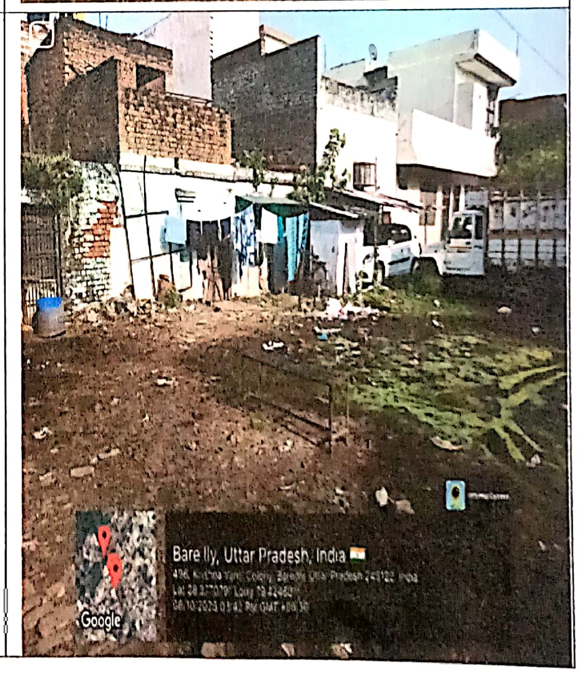

निरीक्षण के समय प्रेमनगर (माडल टाउन रेलवे क्रासिंग के पास) के लिए गये फोटोग्राफ्स–

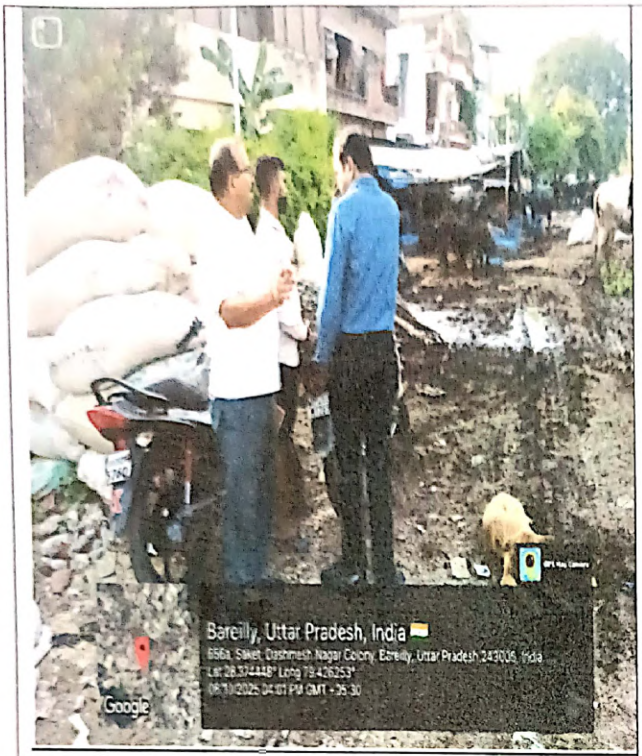

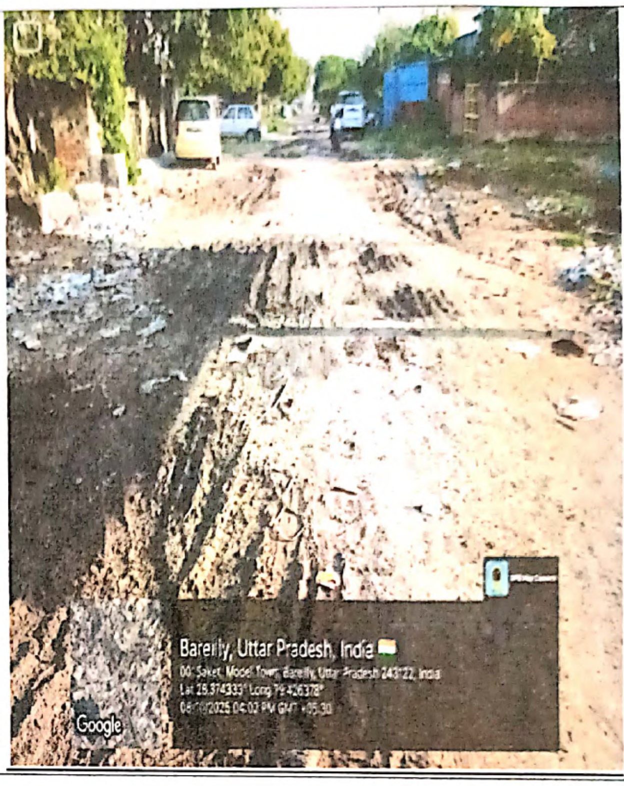

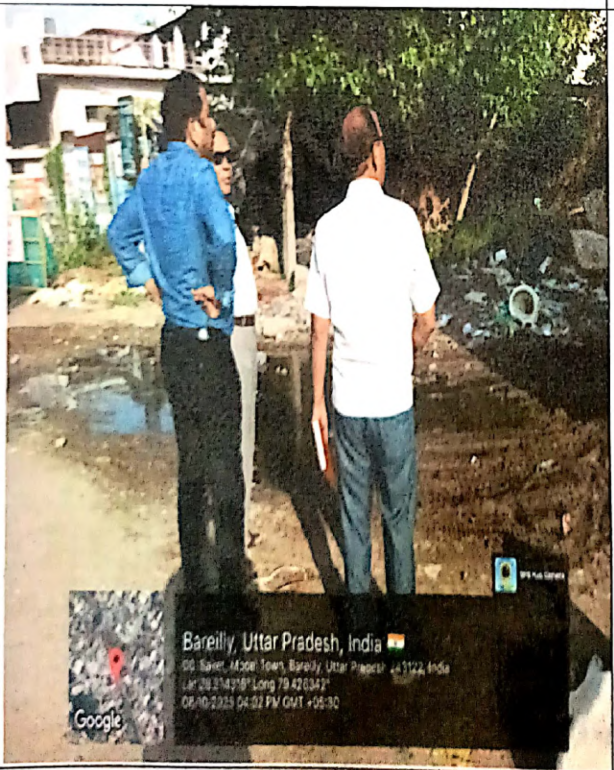

Phone & Fax: 0581-2535299

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालयः 1219/1, ई–ब्लाक राजेन्द्र नगर, बरेली–243 122
U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office: 1219/1, E-Block, Rajendra Nagar, Bareilly-243 122

सन्दर्भ संख्याः– 585 / एन0जी0टी0–377 / 2025 / 2025 दिनांक 18/10/25

सेवा में,
वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर (समन्वय)
पूर्वोत्तर रेलवे / इज्जतनगर, रेलवे मण्डल,
बरेली।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 377/2025 नितिन आनन्द बनाम चेयरमैन रेलवे बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.07.2025 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक (इन्जी0) इज्जतनगर के पत्र सं0 इ/579/कोर्ट–केस/476 दिनांक 22.09.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 377/2025 नितिन आनन्द बनाम चेयरमैन रेलवे बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.07.2025 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु संदर्भित स्थल रेलवे ट्रैक, शाहदाना, श्याहमतगंज, बरेली का संयुक्त निरीक्षण दिनाक–08.10.2026 को इस कार्यालय के श्री सुनील कुमार, वैज्ञानिक सहायक एवं श्री अरूण कुमार चावला, सहायक नगर इंजीनियर/इज्जतनगर/पूर्वोत्तर रेलवे के साथ किया गया। निरीक्षण में पाये गये तथ्यो के आधार पर इज्जतनगर रेलवे स्टेशन से सहदाना (श्यामगंज) पूर्व रेलवे यार्ड के मध्य स्थित अनुप्रयुक्त रेलवे मीटरगेज/रेलवे ट्रैक पर हो रहे अतिक्रमण/जल भराव एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर, रेलवे मण्डल द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure No.4

Phone & Fax: 0581-2535299

UPPCB
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालयः 1219/1, ई–ब्लाक राजेन्द्र नगर, बरेली–243 122
U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office: 1219/1, E-Block, Rajendra Nagar, Bareilly-243 122

सन्दर्भ संख्याः– 788 /एन0जी0टी0–590/2025/2025 दिनांक 20/12/25

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 590/2025 नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री आफ रेलवे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एच 35212/सी–7/ओ0ए0 नं0 377/2025 दिनांक 27.11.2025 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 590/2025 ''नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य'' मे पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण याचिकाकर्ता श्री नितिन आनन्द, निवासी–शहदाना कालोनी, मॉडल टाउन, बरेली की उपस्थिति में दिनांक 15.12.2025 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या संलग्न है। निरीक्षण आख्या में पाये गये तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत शिकायती स्थल पर पाये गये अतिक्रमण, जिसमें आवासीय घर, डेयरी अस्थायी शेड, रैग पिकर्स, निर्माण सामग्री, बाउण्ड्रीवाल इत्यादि सम्मिलित है, को हटाया जाना आवश्यक है, जिसके सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही भू–स्वामित्व संस्था कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक/इंजीनियर, इज्जनगर, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हेतु मण्डल रेल प्रबंधक/इंजीनियर, इज्जनगर, पूर्वोत्तर रेलवे को बोर्ड मुख्यालय स्तर से पत्र प्रेषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मण्डलायुक्त महोदय, बरेली मण्डल, बरेली।
2. जिलाधिकारी महोदय, बरेली।
3. मुख्य विधि अधिकारी, प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में पारित ओ0ए0 सं0 590/2025 "नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य" मे पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 के अनुपालन में स्थल निरीक्षण आख्या–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 590/2025 "नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य" मे पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 में मुख्य अंश निम्नवत् है–

"........1. In this Original Application (OA), the Applicant has raised a grievance about illegal dumping of solid waste in a stretch of 2.6 Km. of unused meter gauge railway track adjacent to the new-leased Shyamganj railway station. The Applicant alleges that this stretch of the railway track has not been used for railway operations for past 30-35 years and on account of negligence of the Railway Authorities and the Municipal Corporation the entire area of the railway track and 50 meters from both side of the track has turned into illegal open dumping site for solid waste, toxic waste, construction debris, dairy waste etc. and this area has been encroached upon which is creating health hazard. The Applicant had earlier approached the Tribunal by filing an OA No. 377/2025 which was disposed by the Tribunal by order dated 30.07.2025 permitting the Applicant to file a detailed complaint along with all the supporting material to the Member Secretary, UP PCB and the Member Secretary was directed to get the spot inspection done and ascertain the extent of violation of environmental norm and take appropriate remedial action within three months. The Applicant submits that though the complaint dated 1.08.2025 (Annexure -A) in terms of the order of the Tribunal was made to the UP PCB but till now no action has been taken though three months period has expired....."

उक्त आदेश के अनुपालन में अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण याचिकाकर्ता श्री नितिन आनन्द, निवासी–शहदाना कालोनी, मॉडल टाउन, बरेली की उपस्थिति में दिनांक 15.12.2025 को किया गया। प्रश्नगत शिकायती स्थल पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अनुप्रयुक्त मीटरगेज रेलवे ट्रैक (लम्बाई लगभग 2.6 कि0मी0) शहदाना (श्यामगंज) से इज्जनगर रेलवे स्टेशन, बरेली के मध्य स्थित है, जो कि विगत लगभग 30 वर्षों से अनुप्रयुक्त अवस्था में होने के कारण रेलवे लाइन के दोनों ओर रेलवे विभाग की रिक्त भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण समस्या होने से अवगत कराया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्य निम्नवत् है–

1. उक्त रेलवे लाइन पूर्व में इज्जतनगर रेलवे स्टेशन से शहदाना (श्यामगंज) स्टेशन तक (कुल दूरी लगभग 2.6 किमी0) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा स्थापित की गयी थी, जिसके दोनों ओर स्थित रिक्त भूमि पर अतिक्रमण होने सम्बन्धी शिकायत की गयी है। वर्तमान में शहदाना (श्यामगंज) स्टेशन अस्तित्व में नहीं है।
2. सर्वप्रथम मौके पर उपस्थित याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवास के समीप प्रेमनगर कालोनी एवं मॉडल टाउन के मध्य स्थित अनुप्रयुक्त रेलवे लाइन स्थल पर संचालित डेयरी स्वामियों द्वारा अतिक्रमण करते हुये डेयरी से जनित गोबर को खुले में भण्डारण किये जाने की समस्या का उल्लेख किया गया। निरीक्षण के समय मौके पर डेयरी इकाई संचालकों द्वारा इकाई के स्वामित्व, नाम व पता आदि विवरण सम्बन्धी कोई भी जानकारी नहीं दी गयी तथा रेलवे लाइन पर डेयरी से जनित वेस्ट/गोबर का भण्डारण पाया गया। फोटोग्राफ्स निम्नवत् है–

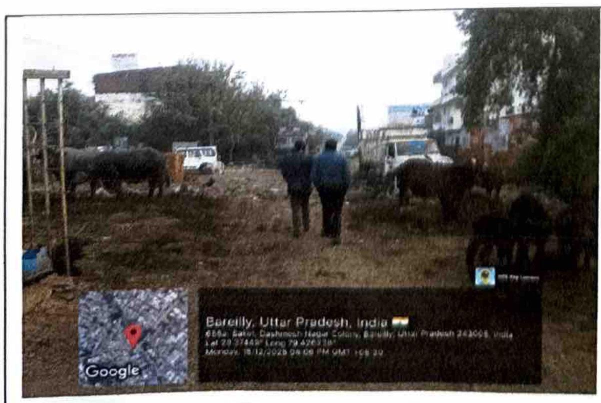

3. निरीक्षण के समय स्थानीय निवासियों पर जानकारी प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि प्रेमनगर कलोनी व मॉडल टाउन के मध्य स्थित अनुप्रयुक्त रेलवे लाइन के दोनो ओर स्थित रिक्त भूमि पर विभिन्न स्थलों पर किये गये अतिक्रमण, जिसमें आवासीय घर, डेयरी, अस्थायी शेड, बाउण्ड्रीवाल इत्यादि सम्मिलित है, को रेलवे विभाग द्वारा लाल रंग से क्रास कर चिन्हित किया गया है। फोटोग्राफ्स निम्नवत् है–

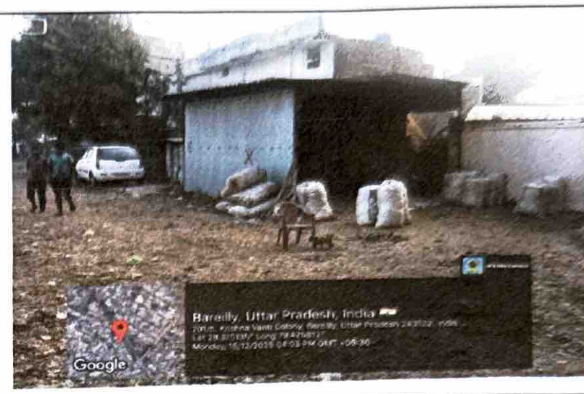

4. इसी क्रम में गांधी नगर एवं जनकपुरी कालोनी के मध्य रेलवे लाइन के पास नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु रैग पिकर्स द्वारा स्थल पर अतिक्रमण एवं जल भराव पाया गया। स्थानीय निवासियों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त क्षेत्र लो–लाईग एरिया होने के कारण निकटवर्ती कालोनियों से जनित घरेलू उत्प्रवाह एवं वर्षा जल के कारण क्षेत्र में जल भराव की समस्या है, मौके पर लिये गये फोटोग्राफ्स निम्नवत् है–

5. इसी क्रम में मॉडल टाउन एवं माधोबाड़ी के समीप रेलवे लाइन पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पशुपालन पाया गया तथा रेलवे लाइन के दोनों ओर रिक्त भूमि स्थल पर किये गये अतिक्रमण, जिसमें आवासीय घर, डेयरी, अस्थायी शेड, रैग पिकर्स, निर्माण सामग्री, बाउण्ड्रीवाल इत्यादि सम्मिलित है, को रेलवे विभाग द्वारा लाल रंग से क्रास कर चिन्हित किया गया है। फोटोग्राफ्स निम्नवत् है–

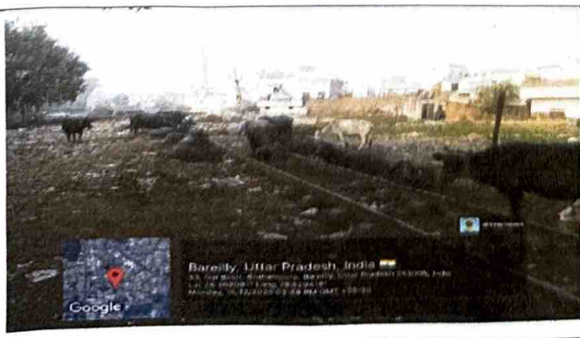

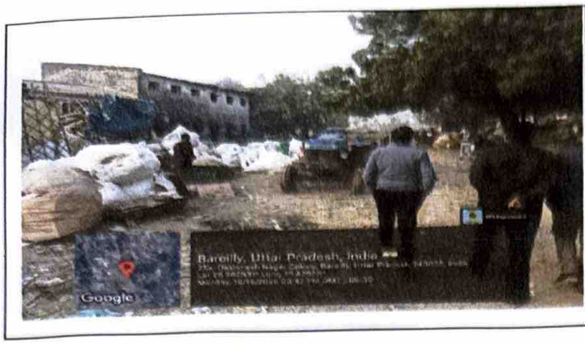

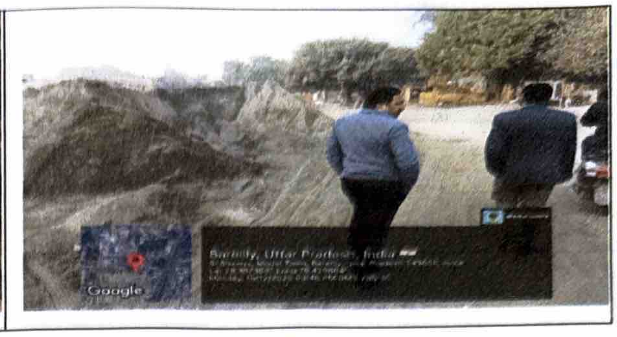

6. मौके पर उपस्थित याचिकाकर्ता द्वारा अगवत कराया गया कि कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक/इंजीनियर, इज्जनगर, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अपने पत्र सं0 ई–विविध/आर0टी0आई0/ई–02 दिनांक 05 मार्च, 2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्यामगंज यार्ड से इज्जतनगर रेलवे स्टेशन के मध्य ट्रैक के उत्तर एवं दक्षिण में स्थित भूमि का स्वामित्व इज्जतनगर मण्डल, पूर्वोत्तर रेलवे के पास है, पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

<u>मुख्य **अवलोकन** एवं संस्तुतिः–</u>

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत शिकायती स्थल पूर्वोत्तर रेलवे का अनुप्रयुक्त मीटरगेज रेलवे ट्रैक (लम्बाई लगभग 2.6 कि0मी0) शहदाना (श्यामगंज) से इज्जनगर रेलवे स्टेशन, बरेली के दोनो ओर जगह–जगह म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एवं गोबर इत्यादि वेस्ट एकत्रित होने के कारण आस–पास के परिवेशीय वातावरण तथा जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है, जिसके दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:–

1. श्यामगंज से इज्जतनगर रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित अनुप्रयुक्त रेलवे ट्रैक एवं उसके दोनो ओर पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन रिक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध रेलवे विभाग की कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
2. श्यामगंज से इज्जतनगर रेलवे स्टेशन के मध्य अनुप्रयुक्त रेलवे ट्रैक पर डम्प किये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं गोबर इत्यादि का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।
3. जनकपुरी कालोनी के समीप पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन रिक्त भूमि की साफ–सफाई एवं रख–रखाव इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि स्थल पर जल भराव की समस्या न हो।

अतः उक्त समस्या के निराकरण हेतु प्रश्नगत शिकायती स्थल पर पाये गये अतिक्रमण, जिसमें आवासीय घर, डेयरी, अस्थायी शेड, रैग पिकर्स, निर्माण सामग्री, बाउण्ड्रीवाल इत्यादि सम्मिलित है, को प्रश्नगत स्थल से हटाया जाना आवश्यक है, जिसके सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही भू–स्वामित्व संस्था कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक/इंजीनियर, इज्जनगर, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(सुनील कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

(अंशुल शर्मा)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure No.5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE

संदर्भ सं0- H36970 /सी-7/O.A.No-590/2025-26 दिनांक- 20/01/26

पंजीकृत

सेवा में,

मण्डल रेल प्रबन्धक, बरेली,
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर,
मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, इज्जतनगर बरेली
243122। दूरभाष -0265 2638081
ई-मेल-drm@izn.railnet.gov.in

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-590/2025 नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 के अनुपालन हेतु शहदाना (श्यामगंज) से इज्जतनगर रेलवे स्टेशन बरेली के मध्य अवैध रूप से डम्प ठोस अपशिष्ट (कूड़ा) का निस्तारण कराये जाने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 की धारा-5 के अन्तर्गत निर्देश।

यह कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-1357(ई0) दिनांक 08.04.2016 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 प्रख्यापित किये गये है, जो कि उक्त अधिसूचना की दिनांक से प्रभावी है।

यह कि उक्त ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के नियम-2 के अन्तर्गत उक्त नियमों को भारतीय रेल के अधीन क्षेत्रों में लागू होना प्राविधानित है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सख्या 590/2025 नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 निम्न निर्देश पारित किये गये है-

"1. In this Original Application (OA), the Applicant has raised a grievance about illegal dumping of solid waste in a stretch of 2.6 Km. of unused meter gauge railway track adjacent to the new-leased Shyamganj railway station. The Applicant alleges that this stretch of the railway track has not been used for railway operations for past 30-35 years and on account of negligence of the Railway Authorities and the Municipal Corporation the entire area of the railway track and 50 meters from both side of the track has turned into illegal open dumping site for solid waste, toxic waste, construction debris, dairy waste etc. and this area has been encroached upon which is creating health hazard. The Applicant had earlier approached the Tribunal by filing an OA No. 377/2025 which was disposed by the Tribunal by order dated 30.07.2025 permitting the Applicant to file a detailed complaint along with all the supporting material to the Member Secretary, UP PCB and the Member Secretary was directed to get the spot inspection done and ascertain the extent of violation of environmental norm and take appropriate remedial action within three months.........."

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 24.11.2025 के अनुपालन मे क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, बरेली के अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता श्री नितिन आनन्द, निवासी-शहदाना कालोनी, मॉडल टाउन बरेली की उपस्थिति मे दिनांक 15.12.2025 को प्रश्नगत शिकायती स्थल का निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत शिकायती स्थल पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अनुप्रयुक्त मीटर गेज रेलवे ट्रैक (लम्बाई लगभग-2.6 किमी0) शहदाना (श्यामगंज) से इज्जतनगर रेलवे स्टेशन बरेली के मध्य स्थित है।

..........कृ0पृ0उ0

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

(2)

यह कि उक्त शिकायती स्थल लगभग विगत तीस वर्षो से अनुप्रयुक्त अवस्था मे है जिस कारण इज्जतनगर रेलवे के अन्तर्गत आच्छादित उक्त रेलवे लाइन के दोनों ओर रिक्त भूमि पर अतिक्रमण होने एव ठोस अपशिष्ट को डम्प किये जाने की समस्या व्याप्त है। याचिकाकर्ता के आवास के समीप प्रेम नगर कालोनी एव मॉडल टाउन के मध्य, गाधीनगर एवं जनकपुरी कॉलोनी के मध्य, मॉडल टाउन एवं माधव बाड़ी के समीप रेलवे लाइन पर अतिक्रमण/अस्थाई आवास निर्माण एव ठोस अपशिष्ट, गोवर, जल भराव, तथा दुर्गन्ध की समस्या व्याप्त पायी गयी।

यह कि उक्त निरीक्षण के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक/इंजीनियर, इज्जतनगर पूर्वोत्तर रेलवे अपने पत्र संख्या–ई–विविध/आर0टी0आई0/ई–02 दिनांक 05.03.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्यामगंज यार्ड से इज्जतनगर रेलवे स्टेशन के मध्य ट्रैक के उत्तर एव दक्षिण में स्थित भूमि का स्वामित्व इज्जतनगर मण्डल, पूर्वोत्तर रेलवे के पास है।

अत पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के प्राविधानो एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 590 2025 नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 में पारित निदेशो के अनुपालन हेतु बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरात पर्यावरण (सरक्षण) अधिनियम–1986 की धारा–5 के अन्तर्गत आपको निम्न निर्देश जारी किये जाते है:–

1 यह कि पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन अनुप्रयुक्त मीटर गेज, रेलवे ट्रैक शहदाना (श्यामगंज) से इज्जतनगर रेलवे स्टेशन बरेली के मध्य क्षेत्र पर अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

2 यह कि पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन अनुप्रयुक्त मीटर गेज, रेलवे ट्रैक शहदाना (श्यामगंज) से इज्जतनगर रेलवे स्टेशन बरेली के मध्य क्षेत्र पर डम्प ठोस अपशिष्ट, गोबर का निस्तारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियन–2016 के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

3 यह कि पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन अनुप्रयुक्त मीटर गेज, रेलवे ट्रैक शहदाना (श्यामगंज) से इज्जतनगर रेलवे स्टेशन बरेली के मध्य क्षेत्र में जल–भराव को वैज्ञानिक रूप से हटाया जाए तथा रिक्त भूमि की साफ–सफाई सुनिश्चित की जाए।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों के सम्बन्ध में कार्यवाही पूर्ण करते हुए अनुपालन आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्व पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत की गयी किसी भी प्रकार की कार्यवाही का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय,

Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 19-01-2026
16:43:27

(राम गोपाल)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी, बरेली को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को इस निर्देश के साथ कि उक्त निर्देशों को सम्बन्धित को प्राप्त कराते हुए पावती सहित पुनः निरीक्षण आख्या ससमय बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।